...अधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक माडर्न स्कूल (प्रा०पा०) ई-१६ सेक्टर १२, नोयडा:गाजि०:

पत्रांक : शि० स०/ 2404-7 /88-89 दिनांक 16-8-88

विषय: प्राईमरी स्तरीय नवीन मान्यता ।

महोदय,

सूच्य है कि दिनांक ११-८-१९८८ में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को शैक्षिक सत्र 1988-89 (मई 88 से अप्रैल 89 तक) प्राईमरी कक्षाओं के संचालनार्थ अस्थायी एवं नवीन मान्यता देने का निर्णय, प्रतिबन्धात्मक रूप में, लिया गया है । समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप सभी अपूर्ण प्रतिबन्धों, विवरण निम्न प्रकार से, की पूर्ति करके वांछित अनुपालन आख्या, इस पत्र के प्राप्ति के दो माह के भीतर भिजवाने सुनिश्चित करें:

1- पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कराया जाये ।

2- विद्यालय के नाम किसी भवन की व्यवस्था हो व उपखंडों के अनुरूप हवादार, प्रकाशयुक्त व उचित माप के कमरों के साथ साथ प्रधानाध्यापक एवं स्टोर के लिये पृथक से कमरों की व्यवस्था की जाये ।

3- विभागीय आदेशानुसार खेलकूद हेतु 2000 वर्ग मीटर माप के क्रीड़ास्थल की व्यवस्था हो ।

4- अध्यापकों की सेवा शर्तों में उ० प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली का पालन किया जाये ।

5- नियमावली के अनुसार सभी अध्यापक, निश्चित प्रक्रिया अपनाकर, प्रशिक्षित रखे जाये व तत्सम्बन्धी अनुमोदन इस कार्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिये जाये ।

6- अध्यापकों/कर्मचारियों को परिषदीय कर्मचारियों के भाति वेतन मान, मंहगाई भत्ता व अति० महगाई भत्ता दिया जाये व भुगतान चैक द्वारा किया जाये ।

7- विभाग द्वारा निर्धारित दर जो 15/= मासिक से अनाधिक हो ली जा सकती है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क चाहे किसी भी नाम से हो न ली जाये । छात्रों की ली जाने वाली शुल्क की पुष्टि में उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर रसीदें देने की व्यवस्था हो ।

8- निर्धारित पाठ्यक्रम से ही शिक्षण की व्यवस्था हो । किसी अमान्य पुस्तक का सहायक प्रयोग न किया जाय ।

9- प्राईमरी कक्षाओं के साथ अमान्य कक्षाओं का संचालन न किया जाय ।

10- मानकानुसार विज्ञान, शिक्षण व क्रीड़ा सामग्री एवं पुस्तकालय हेतु छात्रों उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था हो ।

11- विभिन्न शुल्कों के खाते अधिकृत बैंक/डाक घर में खोले जायें ।

12- बिना समिति की पूर्व स्वीकृति के किसी कक्षा/सेक्शन को न तोड़ा जाये या

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA

13-

14-

विभागीय निर्देशों का अक्षरतः पालन किया जाय । नियमों की अवज्ञा होने अथवा गम्भीर प्रकार की शिकायत मिलने पर किसी भी समय अस्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

भवदीय

16.8.M

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ0स0शि0स0/ /88-89 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1- उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद

2- शिक्षा अधीक्षक, गाजियाबाद

3- सहायक शिक्षा निदेशक:बे0: प्रथम मण्डल मेरठ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA

CamScanner

Encl: 6

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में

प्रबन्धक
माडर्न कन्या जू०हा० स्कूल, सैक्टर 12, नोएडा (गा॰बाद)

पत्रांक शि०बे०। 4688 । दि० 26-9-88

विषय- जूनियर हाई स्कूल स्तर की नवीन मान्यता ।

महोदय,

सूचित किया जाता है कि दि० 11-8-88 में आयोजित जिला मान्यता समिति की बैठक में आपके विद्यालय को तीन वर्ष (१ मई ८७ से ३० अप्रैल ९० तक) जू०हा०स्कूल कक्षाओं के संचालनार्थ अस्थायी एवं नवीन मान्यता, प्रतिबन्धात्मक रूप में, देने का निर्णय लिया गया है । विभागीय आदेशों के परिपेक्ष में, समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप सभी अपूर्ण प्रतिबन्धों :विवरण निम्नप्रकार: की पूर्ति करके निर्धारित ३ वर्षों की समयावधि में स्थायी मान्यता प्राप्त करलें । यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि आप अपूर्ण प्रतिबन्धों के पूर्ति करने संबंधी अनुपालन आख्या इस पत्र के प्राप्ति के तीन माह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

१- पंजीकरण अधिनियम १८६० के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को नियमित रूप से नवीनीकृत कराया जाय ।
२- विद्यालय के सुचारु संचालनार्थ पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जाय ।
३- शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी हो तथा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू हो । अस्वीकृत व अमान्य पुस्तकों का कदापि प्रयोग न हो ।
४- अध्यापक वर्ग की भर्ती तथा सेवा शर्तें -:उ०प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल :जू०हा०स्कूल: (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें)नियमावली १९७८ तथा लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा प्रकरण :उ०प्र०मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल :जू०हा०स्कूल (लिपिक वर्ग और समूह घ के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली १९८४ के प्राविधान के अनुसार शासित होंगी । कोई भी व्यक्ति अध्यापक या कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जावेगा जबतक कि वह निर्धारित अर्हतायें न रखता हो तथा निश्चित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो।
५- प्रत्येक अध्यापक/कर्मचारी को वही वेतनमान, महंगाई व अतिरिक्त महंगाई भत्ता देय होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापक/कर्मचारी को दिया जाता है ।
६- विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा व विभागीय आदेशों का पालन अनिवार्य होगा । अमान्य कक्षाएं कदापि संचालित नहीं की जायेगी ।
७- समस्त निधियों का लेखाजोखा पृथक पृथक उचित रूप में रखकर सार्वजनिक या अनुसूचित बैंक में हो ।
८- विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लेकर पुष्टि में रसीद देने की व्यवस्था हो ।
९- विद्यालय के नाम स्वामित्व वाले निजि भवन में --
अ- प्रत्येक सेक्शन के लिये २० २५ माप के पक्के कक्ष हों
ब- ३० २० माप का विज्ञान कक्ष व क्रीड़ा हेतु कमरों की व्यवस्था हो ।
स- वैकल्पिक विषयों, प्रधानाध्यापक, भंडार गृह और कार्यालय हेतु पृथक कक्ष हों
द- छात्रों और अध्यापकों के लिये पृथक पृथक मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था हो ।
स- ग्रामीण क्षेत्र में दो एकड़ व नगर क्षेत्र में १ से १-३।२ एकड़ क्रीड़ास्थल हो ।
१०- विद्यालय में ३ उपखण्डों के कारण - प्रारम्भ में प्रधानाध्यापक, एक लिपिक, ४ सहायक अध्यापकों व ३ चतुर्थ श्रेणीय कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति की जाती है । = निरिक्त उपखण्ड।पद सृजन की स्वीकृति अनिवार्य होगी ।

Principal
MODERN SCH...
NOIDA

११- इस कार्यालय की बिना पूर्व स्वीकृति के किसी कक्षा।सेक्शन को न तोड़ा जाय या
वृद्धि की जाय ।

१२-

१३-

विभागीय नियमों का उल्लंघन करने अथवा गंभीर प्रकार की शिकायतों की पुष्टि होने पर किसी भी समय अस्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

भवदीय,

26.9.93

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

पृ०सं०शि०स०।   ।   दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

१- शिक्षा अधीक्षक,
२- उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
३- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद ।
४- बेसिक शिक्षा अधिकारी:महिला: गाजियाबाद ।
५- लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA

प्रेषक :   जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,   प्रबन्धक,
मॉडर्न स्कूल, सेक्टर 11, नोएडा (गाजियाबाद) ।

पत्रांक शि0स0/मान्यता/4625-26 /1992-93   दिनांक 2-12-92

विषय : जूनियर बेसिक स्तरीय कक्षाओं की मान्यता में अस्थायी वृद्धि की स्वीकृति

महोदय/महोदया,

दिनांक 2-11-92 में आयोजित जिला मान्यता समितिकी बैठक में आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की पूर्व प्रदत्त मान्यता में विशेष परिस्थिति में मुख्यत: छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 1992-93 हेतु प्रतिबन्धात्मक रूप में समय वृद्धि प्रदान की जाती है आप अनुपालन आख्या 31 मई, 93 तक निश्चित रूप से सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

1- पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाय ।

2- अभीष्ट धनराशि सुरक्षित कोष में विनियोजित कर उसे निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम में प्रतिश्रुत किया जाय ।

3- विद्यालय के नाम निजी भवन हो जिसका पंजीकरण प्रबन्धक विद्यालय विशेष के नाम से हो । इस भवन में निर्धारित माप के हवादार व प्रकाश युक्त कक्ष निर्मित हों । शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक व भण्डार कक्षों की व्यवस्था हो ।

4- विभागीय आदेशानुसार कम से कम 2000 वर्ग मीटर का निजी क्रीडा स्थल हो जो विद्यालय के नाम पंजीकृत हो व छात्रों के खेलने के लिए सुलभ हो ।

5- अध्यापक /कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें) प्रथम संशोधन नियमावलि का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- नियमानुसार सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों। निम्नहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालयसे पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उनको सेवा से हटाया जाय अथवा सेवा योजित किया जाय ।

7- अध्यापक/कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों की भाँति ही वेतन दिया जाय व अन्य भत्ते जो समय समय परदेय हों दिये जाँय ।

8- विभाग द्वारा निर्धारित 15-00 (पन्द्रह रु0) मासिक प्रति छात्र से अनधिक शुल्क ही प्राप्त की जाय । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क कदापि न लिया जाय तथा प्राप्त शुल्काय की विधिवत रसीद छात्रों को अनिवार्य रूप से दी जाय व उसका विधिवत लेखा अभिरक्षित किया जाय व खाते मान्य बैंक में खोले जाँय।

9- प्राइमरी कक्षाओं के साथ अमान्य कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाय ।

10- आवश्यकतानुसार विज्ञान, क्रीडा, शिक्षण व समाजोपयोगी सामग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाय ।

11- निम्नहस्ताक्षरकर्ता की कार्यालय की अनुमति के बिना न कोई नवीन अनुभाग बढ़ाया जाय और न समाप्त ही किया जाय ।

12- केवल विभाग द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तकें ही बच्चों को पढ़ाई जाँय ।

13- विभागीय नियमों व निर्देशों का अक्षरश: पालन न किये जाने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने का अधिकार मान्यता समिति को सुरक्षित रहेगा ।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA

पृ०सं० मान्यता/ /1992-93 तद् दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद /उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गाजियाबाद ।
2- शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र, गाजियाबाद/हापुड़/ पिलखुवा ।
3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल, मेरठ ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

प्रेषक : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मॉडर्न स्कूल,
बी-16 सेक्टर - 12, नोएडा,
गाजियाबाद ।

पत्रांक बि०शि०अ०/ 1775-78 /1993-94 दिनांक 28 जुलाई, 93

विषय : मॉडर्न स्कूल, नोएडा (गाजियाबाद) के सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता के कारण संस्था द्वारा [illegible] सावधि जमा रसीदों को निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक शून्य दिनांक 23-7-93 के संदर्भ में निवेदन है कि सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली के पत्रांक सी०बी०एस०ई०/21611/6024-29 दिनांक 31-5-93 द्वारा आपके विद्यालय को सम्बद्धताप्रदान किये जाने के पश्चात शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आपकी संस्था को प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त हो जाने से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पदनाम में प्रतिभूत निम्नांकित सावधि जमा रसीदों के अन्तर्गत जमा धनराशि ब्याज सहित अवमुक्त की जाती है ।

क्र०सं०	सावधि जमा रसीद सं० व तिथि	परिपक्वता की तिथि	धनराशि	बैंक का नाम
1-	000056 दि० 26-5-90	26-5-92	609-20	बैंक आफ इण्डिया नौएडा
2-	000055 दि० 26-5-90	26-5-92	1218-40	(गाजियाबाद)
3-	के एफ डी नं० 170574 दिनांक 3-5-91	3-5-93	5000-00	केनरा बैंक, नौएडा (गाजियाबाद)

भवदीय,

(signature) 28.7.93

(श्रीमती [illegible] भटनागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ०सं० बि०शि०अ०/ /1993-94 तद् दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- 2- प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, नौएडा (गाजियाबाद) तथा प्रबन्धक, केनरा बैंक, नौएडा (गाजियाबाद) को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निम्नांकित सावधि जमा रसीदों में जमा धनराशि को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से अवमुक्त कर भुगतान करने का कष्ट करें ।

1- संख्या 000056 दि० 26-5-90 अंकन 609-20 बैंक आफ इण्डिया, नौएडा

2- 000055 दिनांक 26-5-90 अंकन 1218-40 -"- -"-

3- के एफ०डी० नं० 170574 दिनांक 3-5-91 अंकन 5000-00 केनरा बैंक, नौएडा (गाजियाबाद)

(signature)
Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA

3- प्रतिलिपि उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल, नौएडा (गाजियाबाद) को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से मान्यता की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के कारण शिक्षा विभाग उ०प्र० द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त हो चुकी है अस्तु अपने अभिलेखों से आप इस विद्यालय का नाम इस कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची से काट दें ।

एतद् सम्बन्धी सूचना कि मॉडर्न स्कूल, (जूनियर हाईस्कूल) एस-1, सैक्टर 11, नौएडा तथा [illegible] जूनियर हाई स्कूल, ई-16 सैक्टर 12 नौएडा (गाजियाबाद) की मान्यता समाप्त हो चुकी है सम्बन्धित प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, को भी दें ।

श्रीमति (प्रभा भटनागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद ।

Principal
MODERN SCHOOL
NOIDA